

# कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास

मध्य प्रदेश

क्रमांक/आईटी/कम्प्यूटराइजेशन/28/2017/ 23914

भोपाल, दिनांक 20/9/17

//आदेश//

'जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाओं एवं प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण' परियोजना के अंतर्गत तैयार किये जा रहे विभागीय योजनाओं के मॉड्यूल / एप्लीकेशन / प्रणाली के निर्माण हेतु पीएमयू टीम द्वारा तैयार किये जा रहे To-Be, FRS (Functional Requirement Specification) एवं SRS (Software Requirement Specification) प्रतिवेदन / दस्तावेजों का परीक्षण, अनुमोदन (Sign-off) के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक आईटी/कम्प्यूटराइजेशन/28/2017/16487 दिनांक 21.07.2017 द्वारा टीम का गठन एवं कार्य विभाजन किया गया है। गठित टीम दिनांक 21.07.2017 द्वारा ही योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न चरणों एवं समय सीमा (SLAs & Timelines) के निर्धारण की भी कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक आईटी/कम्प्यूटराइजेशन/28/2017/16487 दिनांक 21.07.2017 द्वारा नामांकित अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा वर्णित मॉड्यूल / एप्लीकेशन / प्रणाली के निर्माण हेतु प्रस्तावित विभिन्न चरणों एवं समय-सीमा का समावेश To-Be, FRS (Functional Requirement Specification) एवं SRS (Software Requirement Specification) प्रतिवेदन / दस्तावेजों में पीएमयू द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाये।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त

आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

पृ क्रमांक/आईटी/कम्प्यूटराइजेशन/28/2017/ 23915

भोपाल, दिनांक 2017

प्रतिलिपि:-

20/9/17

1. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मैपआईटी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सर्व उपायुक्त (योजना प्रभारी), कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
4. विप्रो (पीएमयू) के सर्व सदस्यों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. पीआईटी टीम, मैपआईटी के सर्व सदस्यों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास, आईटी सेल में पदस्थ समस्त तकनीकी सलाहकार उपरोक्त गठित टीम को आवश्यकता अनुसार तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।
7. सर्व सम्बंधित..... की ओर पालनार्थ।

आयुक्त

आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश